चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website - www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

Rate Contract

Supply of Manpower on Job basis For MPKG SWIMMING POOL LIFE GUARD AND TECHNICAL STAFF YEAR 2025-26

बोली सूचना :- 02/2025-26



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website - www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

बोली सूचना :- 02/2025-26

तरणताल हेतु लाईफगार्ड एवं तकनिकी कार्मिकों को नियोजित करने हेतु बोली प्रपत्र

महाराणा प्रताप खेलगांव हेतु वर्ष 2025–2026 के लिये विभिन्न कार्य हेतु मोहरबंद बोलीयाँ आमंत्रित की जाती है।

कार्य का नाम	तरणताल हेतु लाईफगार्ड एवं तकनिकी कर्मचारी		
अनुमानित लागत	9.50 लाख		
धरोहर राशि	19000 / -		
निविदा शुल्क	500 / -		
बोली प्रपत्र बेचने की दिनांक	10.03.2025 से 21.03.2025 अपरान्ह 12.00 बजे तक		
बोली प्रपत्र जमा कराने एवं खोलने की दिनांक	21.03.2025 सायं 6.00 बजे तक जमा ली जाकर दिनांक 22.03.2025 अपरान्ह् 12.00 बजे पश्चात् खोली जावेगी।		

1.	फर्म का नाम :
2.	पूरा पता :
3.	दूरभाष :
4.	मोबाईल नम्बर : ईमेल :
5.	एजेन्सी की प्रकृति 1. प्रोपराइटर 2. पार्टनर शिप फर्म 3. कम्पनी
6.	जी.एस.टी रजि. नं(फोटो प्रति सलंग्न करें) :
7.	पेन नम्बर (फोटो प्रति सलंग्न करें) :
8.	धरोहर धरोहर राशि रू/—संलंग्न एफ.डी.आर नम्बर/बी.जी नम्बर/डी.डी. नम्बर बैंक नामदिनांक

नाम एवं हस्ताक्षर अधिकृत प्रतिनिधि मय कार्यालय सील



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website -

www.khelgaonudaipur.in Mobile-9509999677

तरणताल पर कार्मिकों को नियोजित करने हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्ते

- सेवा प्रदाता द्वारा अपने सेवाओ संबंधित प्रमाणपत्र (तकिनकी बोली) एवं दरो (वित्तीय बोली) के पृथक पृथक लिफाफे
 प्रस्तुत करने होगे। जिनके प्रमाणपत्र (तकिनकी बोली में सफल पाये जाने पर) के आधार पर ही दरो के लिफाफे
 बोली मे शामिल किये जायेगे।
- 2. संस्था के प्रत्येक सेवा हेतु निर्धारित योग्यता पूर्ति करने वाले न्यूनतम तीन उम्मीदवार उपलब्ध कराने होगे इनमे से एक का चयन खेलगाँव सोसायटी द्वारा निर्धारित समिति द्वारा किया जायेगा।
- 3. सेवाओ संबंधी शैक्षणिक योग्यता अनुभव मे किसी प्रकार की कमी स्वीकार्य नही होगी।
- कार्मिकों की संख्या आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- सेवाओ हेतु उपलब्ध कराये गये व्यक्तियो को सदस्य सचिव खेलगाँव सोसायटी उनके अधिनस्थ अन्य अधिकारियो द्वारा बताये जाने वाले सेवा संबंधी कार्य करने होगे।
- 6. उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का कार्यालय समय प्रातः 06.00 बजे से 9.30 बजे एवं सायं 4.00 बजे से 08.00 बजे तक रहेगा। यदि सेवा संबंधी कार्य के लिये कर्मचारी की उक्त समय से पूर्व / पश्चात अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पडती है तो उक्त व्यक्ति / व्यक्तियों को तदनुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। जिसका कोई अतिरिक्त भत्ता नही दिया जायेगा।
- 7. सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में तत्काल (अधिकतम तीन दिवस) उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति को निर्धारित सेवा हेतु जो योग्यता रखता है चयन हेतु खेलगाँव सोसायटी साक्षात्कार समिति के समक्ष उपलब्ध कराना होगा।
- सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियो को साप्ताहित / राजपित्रत अवकाश का लाभ श्रम विभाग के नियमानुसार प्राप्त होगा परन्त् अतिरिक्त अवकाष उपभोग की स्थिति में पारिश्रमिक मे से अनुपातिक रूप से कटौति होगी।
- समय से पूर्व / पश्चात् अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन सेवा प्रदान करने के लिये प्रथम पक्ष द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व एजेन्सी का होगा।
- 10. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के परिश्रमिक बिल प्रत्येक माह की 5 तारीख तक खेलगाँव सोसायटी के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 11. उपलब्ध कराये गये कार्मिक के चरित्र के संबंध में किये गये किसी भी कृत्य हेतु खेलगाँव कार्यालय उत्तरदायी नही होगा। नियोजित व्यक्ति का चरित्र प्रमाणपत्र सत्यापन ऐजेन्सी को करना होगा।
- 12. एजेन्सी द्वारा किये गये अनुबंध को किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा।
- 13. यदि एजेन्सी का कार्य संतोषप्रद नहीं होता है अथवा एजेन्सी द्वारा अनुबंध की षर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उपापन समिति महाराणा प्रताप खेलगाँव सोसायटी 15 दिन के नोटिस से एजेन्सी से अनुबंध समाप्त करने हेतु अधिकृत रहेगी तथा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 14. यदि एजेन्सी अनुबंध अविध मे अनुबंधित सेवाए प्रदान करने मे असमर्थ है तो उसे उपापन सिमिति खेलगाँव को न्यूनतम तीन माह पूर्व नोटिस देना आवश्यक है जिससे कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी तथा ऐसी स्थिति मे उसकी सिक्युरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 15. एजेन्सी प्रतिनिधि को जब वार्ता हेतु बुलाया जाये तो संबंधित कार्यालय मे उसके व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
- 16. उपलब्ध कराये गये व्यक्तियो मे से यदि किसी के द्वारा अनियमितता पाई जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। जिसकी पूर्ति एजेन्सी द्वारा की जावेगी।
- 17. उपलब्ध कराई गई सेवाओ हेतु रखे गये व्यक्तियो के राज्य सरकार श्रम विभाग के कानूनी दायित्व ठेकेदार/सेवाए उपलब्ध करवाने वाली संस्था के होगे। खेलगाँव का इस बाबत कोई दायित्व नही होगा।
- 18. चयनित व्यक्ति का **आधारकार्ड व अन्य योग्यता प्रमाण—पत्र** की एक प्रति फोटोग्राफ मय आवास प्रमाण पत्र कार्यालय महाराणा प्रताप खेलगांव में जमा कराना होगा।
- 19. किसी भी न्यायिक विवाद का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।
- 20. किसी भी अनुबंध विवाद में उपापन समिति का निर्णय उस विवाद के संबंध में अन्तिम होगा।
- 21. यदि भविष्य मे राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त दायित्व निर्धारित किया जाता है तो उस पर दोनो पक्षो द्वारा विचार विमर्ष कर निर्णय लिया जायेगा।



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website -

www.khelgaonudaipur.in Mobile-9509999677

- 22. एजेन्सी से उपलब्ध कराये गये किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कोई वाद/विवाद/श्रम विवाद यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। उपापन समिति किसी भी कार्य/सेवा हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।
- 23. बोली निर्णय के पश्चात एजेन्सी को एक हजार रूपये के स्टाम्प पर अनुबंध प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की अविध 31 मार्च 2026 तक की होगी। आपसी सहमति से अविध बढाई जा सकेगी। जो आर.टी.पी.पी नियमानुसार होगी।
- 24. प्रस्तुत बिलो से कटौतियां तथा टी.डी.एस. व अन्य नियमानुसार की जावेगी।
- 25. बोली स्वीकृत होने पर अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रूप मे जमा करानी होगी। धरोहर राशि प्रतिभूति राशि मे समायोजित कर ली जावेगी, धरोहर एवं प्रतिभूति राशि जमा कराने की स्थिति मे कोई ब्याज नही दिया जायेगा। प्रतिभूति राशि अन्तिम कार्य के तीन माह बाद लौटाई जावेगी।
- 26. तैराकी सम्बंन्धित या अन्य किसी खेल से सम्बन्धित दिशा निर्देश यथावत मान्य होंगे। उसका एजेन्सी से कोई लेना देना नहीं होगा।
- 27. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- 28. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनिय, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जाएगी।
- 29. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अविध के लिये आवश्यक हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अविध के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय—समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
- 30. संवेदक द्वारा नियोजित कार्मिक को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर की संवेदक को आगामी माह के बिल का भूगतान किया जायेगा।
- 31. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
- 32. श्रमिको को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय—समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
- 33. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा का (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उतरदायित्व संवेदक का होगा।
- 34. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 35. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- 36. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से सभी वांछित दस्तावेज एवं निविदा प्रपत्र उपरोक्तानुसार वाछिंत शुल्क, धरोहर राशि एवं तकनीक बिड मय समस्त प्रपत्र पृथक—पृथक लिफाफे में बन्द कर निर्दिष्ट दिनांक एवं समय तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जानी होगी। निर्दिष्ट दिनांक एवं समय तक उपरोक्त दस्तावेज नहीं जमा कराने की स्थिति में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रारंभिक रूप से निरस्त की जाएगी, जिसके लिए बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होगा।

चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website -

www.khelgaonudaipur.in Mobile-9509999677

- 37. क्वालीफाईंग बिड (परिशिष्ट—अ) में सफल / उपयुक्त निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी तथा असफल निविदादाताओं की अमानत राशि मांग पर यथाशीघ्र नियमानुसार लौटा दी जायेगी।
- 38. (अ) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना कार्यालय को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
 - (ब) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं कार्यालय को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा यह संविदा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
- 39. जॉब बेसिस पर कार्मिको की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है। किसी न्युनतम संख्या की गारण्टी नहीं दी जाएगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। मानव श्रम की संख्या वृद्धि होने पर अनुबन्धित संवेदक / बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबन्धन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर मानव श्रम उपलब्ध कराने होगे।
- 40. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर नीले बॉल पेन से हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- 41. विधि मान्यता : निविदा दरें वित्तीय बिड को खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- 42. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं करेगा।
- 43. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) कर सकता है।
- 44. कसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा —
- (अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशीप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
- (ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष।
- (स) एकमात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- 45. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों द्वारा मामलों को मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रटर) को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रटर) के रूप में सम्बद्ध होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
- 46. समस्त विधिक कार्यवाही का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।
- 47. किसी भी निविदा दरों को स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति का होगा।
- 48. निविदाकार की ओर से लगाई गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
- 49. अनुबन्ध अविध की निविदा स्वीकार करने की दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में बोलीदाता एवं कार्यालय की आपसी सहमति से अनुबंध बढाया जा सकेगा। जो अधिकतम तीन वर्ष के लिए हो सकता है।
- 50. वाछिंत कर्मी नियत समय में लगाने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी, इसमें कोई छूट विभाग द्वारा देय नहीं होगी। यदि कहीं कर्मी की व्यवस्था संविदाकार द्वारा नहीं की जाती है, तो अनुबन्ध निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।
- 51. सफल निविदादाता को श्रम विभाग के नियमों की पालना करनी होगी।
- 52. निविदादाता द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के आचरण व गलत व्यवहार पाए जाने पर उसे तुरन्त हटाना होगा व दोबारा इसी प्रकार की गलती होने पर जमानत राशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। साथ ही परिसर में धुम्रपान / गुटखा खाना / शराब पीना सख्त मना है।
- 53. यदि ठेकेदार के कर्मचारी कार्य करने के दौरान संबंधित कार्यस्थल की किसी भी चल—अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उसकी वसूली ठेकेदार के देय भुगतान / जमानत राशि में से की जावेगी।
- 54. समय-समय पर कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों की निविदादाता को पालन करना होगा।
- 55. निविदादाता द्वारा नियुक्त होने वाले सभी पुरूष/महिला कर्मियों का नाम, स्थाई पता, मोबाईल नम्बर आदि की सूचना कार्यालय को देनी होगी। किसी भी कर्मी को बदलने/परिवर्तन करने की स्थिति में सूचना 15 दिवस में कार्यालय को दी जानी आवश्यक होगी। भोजन, नाश्ता, सफाई एवं स्वीपर हेतु वाछिंत कार्मिकों का नियोजन इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार करना होगा। छात्रावासों/कार्मिकों की संख्या में कमीं/वृद्धि की जा सकती है।
- 56. ठेका श्रम विनियम एवं उन्मूलन अधिनयिम 1970 एवं अन्य अधिनियमों की पालना की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ऐजेन्सी की होगी।

चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website -

www.khelgaonudaipur.in Mobile-9509999677

- 57. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश / परिपत्र / नियम इस निविदा एवं अनुबन्ध पर प्रभावी होगें।
- 58. यथासम्भव स्थानीय लोगों को कार्य पर नियोजित करना होगा।
- 59. सेवाओं संबंधी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कार्मिको का नियोजन किया जावें।
- 60. कार्मिको की संख्या एवं मानदेय की बढोतरी / कटौती का निर्धारण आवष्यकता के अनुरूप किया जाएगा, जिसका अधिकार निदेश्क महाराणा प्रताप खेलगांव के पास निहित रहेगा।
- 61. सेवाओं हेतु उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों को सदस्य सचिव, महाराणा प्रताप खेलगांव एवं अधीनस्थ अन्य अधिकारियो तथा जिस कार्यालय में सेवा प्रदान की जा रही है उनके निर्देशों की पालना करनी होगी।
- 62. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के समस्त, सामान्य, वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम 2013 के प्रावधान एवं समय—समय जारी किये जाने वाले समस्त निर्देश लागू होंगे।
- 63. ऐजेन्सी को प्रतिमाह की 5 तारीख तक कार्मिको का भुगतान कर बिलों के पूर्नभरण हेतु खेलगांव सोसायटी को बिल मय उपस्थिति प्रस्तुत करना होगा।
- 64. ऐजेन्सी द्वारा नियोजित समस्त कार्मिको को खेल प्रशिक्षकों के निर्देशो की पालना करनी होगी।
- 65. तरणताल पर नियोजित लाईफगार्ड को तरणताल प्रशिक्षक के निर्देशो के अनुसार कार्य करना होगा।

सफाई कार्य -

- 1. सफाई कार्य हेतु जीवाणुरोधी (Disinfecting) का प्रयोग सप्ताह में दो बार कराना होगा। सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री (झाडू, पौंछा एवं जीवाणुरोधी) विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- 2. पानी की टंकी महिने में एक बार साफ करनी आवश्यक होगी।
- 3. छत की सफाई माह में एक बार करना आवश्यक होगा।
- 4. निर्मित परिसर का नियमित रूप से पौंछा लगाया जाना आवश्यक होगा।
- 5. बरसात के दौरान परिसर में उगे अनावश्यक पौधों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी संविदादाता की होगी।
- 6. सफाई कार्य पुल प्रभारी के निर्देशानुसार क्रियान्वित करानी आवश्यक होगा।

चतुर्थ श्रेणी / चौकीदारी कार्य-

- 1. स्रक्षा कार्य करने वाले व्यक्तियों को विभाग द्वारा कोई पृथक से लाभ / परिलाभ देय नहीं होगा।
- 2. स्रक्षा कार्य हेत् लगने वाला व्यक्ति किसी प्रकार के अपराधिक प्रवृति में लिप्त नहीं होना चाहिए।
- 3. सुरक्षा कार्य के लिए आवश्यक सामग्री यथा वीसल, डन्डा, टॉर्च एवं पौषाक संविदाकार को उपलब्ध कराना होगा।
- वौकीदार का कार्य भवन की सुरक्षा एवं बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को नियंत्रित करना होगा।
 च0 श्रे0 कर्मचारी को संस्था प्रधान के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर नाम व पता मय



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website - www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

Details of Bidder:

1.	Name of the Firm/Bidder		
2.	Telephone No.	(Off)	(Fax)
3.	Mobile No.		
	e-mail ID		
4.	Office Address of the Firm		
5.	Constitution of the Firm whether/ Proprietorship/ Partnership/ Company		
(a)	In case of Proprietorship Firm :-		
	Name, Father's Name and Residential address of the		
	Proprietor :-		
(b)	In case of Partnership Firm :-		
	Name, Name of Father and Residential address of all the		
	Partners		
	Note:- (Enclose the Registration certificate of Firm or its		
	attested copy/photocopy of Partnership Deed (attach separate		
	sheet ifspace is insufficient)		
(c)	In case of Company		
(i)	Regd.No. of the Company		
(ii)	Name and address of the		
	Directors of the company		
	(attach separate sheet, if space is insuficient)		
6.	BANK DETAILS OF BIDDER		
	Banker's name with branch		
	Account type		
	Account number		
7.	PAN No. of the Bidder		
	(Enclose a certified copy of the same)		
8.	Bid scurity of Rs.		
	Banker cheque/Bank Draft No		
	Dated(Name of Bank & branch)		
	*(To be filled in by the office)		

^{*} In case of authorized representative signing this document, enclose copy of the authority letter.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website - www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

Technical Bid Check list

S.No.	Type of Certificate & Other informations	Yes/No	Date of issue/validity
1-	Whether bid document fee submitted with bid Provide details FD/ BG /Banker Cheqe/ DD No dt		
2-	Whether Bid security submitted with bid Provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no dt amount		
3-	Annexure-G (Affidvit regarding acceptance of Bid terms & conditions on Rs. 100/- non judicial stamp paper.)		
4-	Whether GST registration certificate is submitted with e-bid		
5-	TAN पंजीयन संख्या का प्रमाण पत्र		
6-	Certificate of Incorporation, MOA and AOA case of Pvt. Ltd. /Company		
7-	Certificate of Authorization. Certificate.		
8-	UDYAM Registration		
9-	PAN Card self attessted copy		
10-	Scaned copy of Bid form and bid document (self attested)		
11-	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक प्रमाण पत्र		
12-	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनिय, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक प्रमाण पत्र		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website - www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

Terms & Conditions

- 1. बोली प्रपत्र शुल्क, बोली बयाना राशि के बिना प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 2. बोली से सम्बन्धित नियम, शर्ते एवं बोली प्रपत्र <u>www.khelgaonudaipur.com</u> से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 3. बोलीदाता के द्वारा डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र का मूल्य का एफ.डी.आर / बैक गारन्टी / डी.डी. एवं बोली बयाना राशि का डी.डी. / एफ.डी.आर / बैक गारन्टी सदस्य सचिव, महाराणा प्रताप खेलगांव, उदयपुर के नाम और बोली दस्तावेज मय संलग्न हार्ड कोपी में तकनीकी बोली खुलने से पूर्व निविदा सारणी में अंकित दिनांक एवं समय तक कार्यालय में जमा कराना होगा।
- 4. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त बोलियों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपापन समिति, महाराणा प्रताप खेलगांव, उदयपुर को होगा

5. तकनीकी बोली स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्ते :--

- A. निर्धारित बोली बयाना राशि एवं बोली शुल्क
- B. बोली प्रपत्र (Bid Documents)।
- C. GST पंजीयन संख्या का प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित।
- D. TAN पंजीयन संख्या का प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित।
- E. Certificate of Incorporation, MOA and AOA in case of Pvt. Ltd. Co.
- F. Certificate of Authorization. Certificate.
- G. UDYAM Registration
- H. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति।
- तकनीकी बोली प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित / हस्ताक्षरित किये होना चाहिए।
- J. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक प्रमाण पत्र
- K. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनिय, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक प्रमाण पत्र
- L. MSME EMD EXEMPTION

As per RTPP Rule 2013 :- Rule No. 42

In case of open competitive bidding, two-stage bidding, rate contract, electronic reverse auction, bid security shall be 2% or as specified by the State Government of the estimated value of subject matter of procurement put to bid. In case of Small Scale Industries of Rajasthan it shall be 0.5% of the quantity offered for supply and in case of sick industries, other than Small Scale Industries, whose cases are pending with Board of Industrial and Financial Reconstruction; it shall be 1% of the value of bid. Concessional bid security may be taken from registered bidders as specified by the State Government. Every bidder, if not exempted, participating in the procurement process shall be required to furnish the bid security as specified in the notice inviting bids



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website -

www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

1[(3) In lieu of bid security, a bid securing declaration shall be taken from the,- (i) Departments/Boards of the State Government or Central Government; (ii) (iii) (iv) Government Companies as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013; Company owned or controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments which is subject to audit by the Auditor appointed by the Comptroller and Auditor-General of India under sub-section (5) or (7) of section 139 of the Companies Act, 2013; or Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government or Central Government.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण-पत्रों के अभाव में हमारी निविदा निरस्त करने योग्य है।

> निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website -

www.khelgaonudaipur.in Mobile-9509999677

Annexure-'A'

COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST:-

Any person participating in a procurement process shall-

- a) Not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e) Not include in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process;
- f) Not obstruct any investigation or audit of procurement process,
- g) Disclose conflict of interest, if any, and
- h) Disclose any previous transgression with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

-: CONFLICT OF INTEREST :-

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if, including but not limited to:

- a) Have controlling partners/shareholders in common; or
- b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c) Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d) Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process; or
- e) The bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one Bid; or
- f) The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or
- g) The bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

	Signature of Bidder with Seal
Date:	Name:
	Designation:
	Address:



www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

Annexure-'B'

DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS

DECLARATION BY THE BID	<u>DDER</u>
In relation to my/our Bid submitted to Member Secr Udaipur for procurement of M/s	In response to their notice ereby declare under Section 7 of
I/we possess the necessary professional, technical, and competence required by the bidding Document	_
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the State Government or any local authority as spec	• •
3. I/we are not insolvent, in receivership bankrupt or affairs administered by a court or a judicial officer, suspended and not the subject of legal proceedings	not have my/our business activities
4. I/we do not have, and our directors and officers criminal offence related to my/our professional statements of misrepresentations as to my/our procurement contract within a period of three year this procurement process, or not have been of debarment proceedings;	conduct or the making of false ir qualifications to enter into a spreceding the commencement of
5. I/we do not have a conflict of interest as specified document, which materially affects fair competition	•
:	Signature of Bidder with Seal
Date:	Name:
Place:	Designation:

Address:



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website - www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

Annexure-'C'

GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

The designation and address of the First Appellate Authority is Member Secretary Maharana Pratap Khelgaon, Udaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Vice President, Maharana Pratap Khelgaon, Udaipur

1. Filling an appeal:-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding document within a period of ten days, from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial Bids, and appeal related to the matter of financial Bids may be filed only by a bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

- **2.** The officer to whom an appeal is filed under Para (1) will deal with the appeal as expeditiously as possible and will Endeavour to dispose it off within thirty days from the date of the appeal.
- 3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases:-

No appeal will lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provision limiting participating of bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

5. Form of Appeal:-

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above will be in the annexed Form along with many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal will be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website -

www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filling appeal

- (a) Fee for first appeal will be rupees two thousand five hundred and for second appeal will be rupees ten thousand, which will non-refundable.
- (b) The fee will be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal:-

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, upon filing of appeal, will issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, will,-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned will pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause © above will be place on the State Public Procurement Portal.

Date:	Signature of Bidder with Seal
Place	Name:
	Designation:
	Address:



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677


FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement

<u>Act, 2012</u>
Appeal Noofof
Before the(First/Second Appellate Authority)
1. Particulars of Appellant:
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent (s)
(i)
(ii)
(iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision action or mission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Ac by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposed to be represented by a representative, the name and posta address of the representative:
5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
(supported by an affidavit)
7. Prayer :
Place
Date
Annellant's Signatur

Appellant's Signature



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website - www.khelgaonudaipur.in Mobile-9509999677

Annexure-'D'

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. Correction of Arithmetic Errors:-

Provided that a financial Bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

- (i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price will prevail and the total price will be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted will govern and the unit price will be corrected;
- (ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the sub totals will prevail and the total will be corrected; and
- (iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words will prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures will prevail subject to clause (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid will be disqualified and its Bid security will be forfeited or its Bid securing declaration will be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

The quantity mentioned in the Bid is the minimum approximate quantity that the bidder will have to compulsorily supply to specified destination.

- (a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit process or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procure less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website - www.khelgaonudaipur.in Mobile-9509999677

(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity will not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity will be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred will be recovered from the supplier.

3. DIVIDING QUANTITIES AMONG MORE THAN ONE BIDDER AT THE TIME OF AWARD (IN CASE OF PROCUREMENT OF GOODS):-

As a general rule all the supply will be taken from successful bidder, whose Bid is accepted, However, when it is considered that the quantity of the subject matter of supply to be supplied is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose Bid is accepted to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders, in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose Bid is accepted.

Date:	Signature of Bidder with Seal
Place:	Name:
	Designation:
	Address:



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website - www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

Annexure-E

DECLARATION

I		S/	О			
(Firm/Company)				decla	are that: -	
I hereby de	clare that	Ι			(Name	of
Firm/Company)					_	
owner/Proprietor/p	artner/directo	r. At pro	esent whate	ver resource	es available to me	for
supply, if any add	itional resour	ces nec	essary for s	supply then	necessary resour	ces,
godown, vehicle et	c. will be arr	anged b	y declarant	in time and	d supply will be d	lone
in time.						
				Seal wit	th Signature	
				Place :-		
			-	Date : -		

चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

Annexure-'F'

Declaration regarding acceptance of Terms & Condition of Bid			
(On Rs. 100/- non judicial stamp paper duly attested by Notary Public)			
Bidder Name			
I/We confirm that I/We are authorized to submit Bid on behalf of the firm participating in the Bid and have perused the entire Tender/Bid document including all its amendments till date.			
Having perused the subject Bid with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Tender/Bid document including technical particulars, detailed technical specifications of the product, special terms & conditions and general terms & conditions wherever indicated, offer validity, terms of delivery without any deviations whatsoever:			
I/We also confirm acceptance of the all general terms & conditions of Bid document.			
I/We certify that the prices quoted against the Bid are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartelization.			
I/we certified that tendering firm has not been black listed/banned by any Government Department of the State /PSU from business dealings.			
I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.			
Date: Signature of Bidder with Seal Place Name & Address			



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website - www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

Annexure-G

Minimum Qualifiaction

विभिन पदो हेतु कार्मिको की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार रहेगी।

S.No.	Name of Post	Required Minimum	Scope of Work
		Qualification and Experiance	
1-	Life Guard with	Graduate and P.Ed Degree and National	Work as per direction of
	P.Ed Degree and	Player	Swimming coach/ Pool
	National Player		Incharge
2-	Life Guard With	Graduate and State level Participation	Work as per direction of
	experience (State	Certificate	Swimming coach/ Pool
	Level Swimmer)		Incharge
3-	Life Guard With	Swimming Trainer with Work	Work as per direction of
	experience	Experience Certificate 2 year	Swimming coach/ Pool
	experience		Incharge
4-		Literate and knowledge of Electric work	Work as per direction of
	Plant Operator	and also having Experience of pool	Swimming coach/ Pool
		operation	Incharge
5-		Literate and knowledge of swimming	Work as per direction of
	Machine Man	pool operation/related work	Swimming coach/ Pool
			Incharge
6-	Sweeper with	Knowledge of Cleaning work	As per direction of Coach
	Experience		
7-	PEON	5 th Passed work as per direction	As per direction of Coach

Date: Signature of Bidder with Seal Place Name & Address



चित्रकूटनगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313001 ई-मेलsocietykhelgaon@gmail.com website - www.khelgaonudaipur.in Mobile—9509999677

Annexure-H

FINANCIAL BID

NO	SERVICE/POST NAME	Experiance	Minimum Qualification	UNIT PRICE	SERVICE CHARGE NOT LESS THAN 1% (IN WHOLE NUMBER)
1	Life Guard with P.Ed Degree and National Player	Min 1 year	Graduate and P.Ed Degree and National Player	15000.00	
2	Life Guard With experience (State Level Swimmer)	Min 1 year	Graduate and State level Participation Certificate	11000.00	
3	Life Guard With experience	Min 2 year	Swimming Trainer with Work Experience Certificate 2 year	9500.00	
4	Plant Operator With Experience	Min 1 year	Literate and knowledge of Electric work and also having Experience of pool operation	12000.00	
5	Machine Man With Experience	Min 1 year	Literate and knowledge of swimming pool operation/related work	10000.00	
6	Sweeper With Experience	Min 1 year	Knowledge of Cleaning work	9000.00	
7	PEON	Min 1Year	5 th Passed work as per direction	8500.00	

Date:	Signature of Bidder with Sea
Place	Name & Address